भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5129
बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>एग्री-फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी की रूपरेखा</u>

5129. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एग्री-फोटोवोल्टिक (एपीवी) प्रौद्योगिकी के लिए मानकीकृत परिभाषा और अवसंरचना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार की एपीवी के विकास में भागीदारी के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और ग्रामीण सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एपीवी अधिष्ठापन के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु कृषि भूमि के लिए निर्धारित पात्रता-मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार भूमि-उपयोग संबंधी नीतियों को लचीला बनाने के उपायों पर विचार कर रही है ताकि कृषिभूमि का दर्जा बरकरार रखा जा सके और साथ ही उसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) किसानों और ग्रामीण समुदायों के बीच एपीवी को अपनाने के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का एपीवी परियोजनाओं के लिए नियत फीड-इन टैरिफ जैसे वित्तीय प्रोत्साहनों का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) एपीवी प्रणालियों को अपनाना, सरल बनाने और उन्हें भारत के नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों में एकीकृत करने के लिए किए जा रहे विनियामक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): कृषि फोटोवोल्टेक (एपीवी) मानकीकृत परिभाषा, फ्रेमवर्क, विनियामक उपायों या प्रोत्साहनों के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तथापि, पीएम कुसुम योजना के घटक क के अंतर्गत 10,000 मेगावाट विकेन्द्रीयकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देती है। किसान इस कंपोनेंट के तहत अपने भूमि पर 2 मेगावाट तक के सौर संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। किसानों के समूह/ सहकारिताएं/ पंचायतें/ किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/ जल उपयोगकर्ताओं संघ (डब्ल्यूयूए) आदि भी डेवलपरों के माध्यम से विद्युत संयंत्र की स्थापना कर सकते हैं। यह योजना डिस्कॉम्स के लिए 0.40 रुपये/यूनिट का अधिग्रहण आधारित प्रोत्साहन प्रदान करती है।

*****